

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 114]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 मार्च 2011—फाल्गुन 27, शक 1932

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

शुद्धि-पत्र

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2011

क्र. एफ-22-52-2000-पी-1-इकतीस.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 22-52-2000-पी-1-इकतीस, दिनांक 08 मार्च, 2011 राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित की गई है, जिसमें अनुसूची के कॉलम 04 में अंकित पद संख्या "09" के स्थान पर "07" पढ़ा जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार, उपसचिव.

Bhopal the 18th March 2011

No. F-22-52-2000-P-1-XXXI.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following rules for regularisation of ad-hoc appointment namely;—

AMENDMENTS

In schedule (see rule-4) (column 4) of the notification No. F-22-52-2000-P-1-XXXI of Water Resources Department published in Madhya Pradesh Gazette (Extra Ordinary) dated 08 March 2011, for the existing entries relating to No. of Posts "09" shall stand modified as "07".

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
UMESH KUMAR, Dy. Secy.

227